



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट में 04 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के कारावास व 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-1440/2011 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय गैंगस्टर कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द पुत्र बलवान सिंह (हिस्ट्रीशीटर) नि0 ग्राम पत्योरा थाना सुमेरपुर 2.अमर सिंह पुत्र रामबहादुर सिंह नि0 ग्राम पचखुरा थाना सुमेरपुर 3.हुकुम सिंह पुत्र रामजीवन सिंह नि0 रूरीपारा थाना ललपुरा 4.वीर सिंह पुत्र जयबहादुर सिंह (हिस्ट्रीशीटर) नि0 ग्राम पत्योरा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी सुशील कुमार
त्रिपाठी



विवेचक-
उ0 नि0 गिरेन्द्र
कुमार सिंह



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
हे0का0 ज्ञानेन्द्र सिंह